


छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// संशोधित अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 09/08/2017

क्रमांक एफ 10-5/2016/16 :- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2016/16, दिनांक 20.12.2016 के बिन्दु (ब) के (V) में उल्लेखित "छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक" को ई-रिक्शा सहायता योजना से विलोपित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए०के०के०टे०)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ 10-5/2017/16


नया रायपुर, दिनांक 09/08/2017

प्रतिलिपि :-

01. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, श्रम विभाग एवं पदेन अध्यक्ष, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
02. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
03. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
04. अध्यक्ष, छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
05. कलेक्टर, जिला- (छ0ग0)।
06. नोडल अधिकारी, असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
07. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, नया रायपुर (छ0ग0)।
08. समस्त उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ0ग0)।
09. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
10. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग